

20.06.2025 प्रावसी पेश हुई। आधिकारिक उभयपक्ष उपस्थित।
प्रावसीय पक्ष उभयपक्ष को सुना गया।
प्रावसी ने विवेक दिया कि उपरोक्त इनका
प्रकार के प्रावसी पत्र की तारीख प्रेषी

सहायक निरीक्षक, ज.
(उपखण्ड अधिकारी, स. नारा)



मुकदमा नं. 10/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
के जारी हुये

22.07.2024 को रजि गरी प्री, हस्तगत
प्रल की तारीख पेरी पर हुकम जारी
के वकील को बाजिर अदालत आना था.
मगर हुकम जारी के वकील जिरील
आयालय में अन्य उकल में व्यस्त
होने के कारण नहीं थे हरे प्रकाश
आमीय आयालय द्वारा उक्त प्रल को
अदम पैली व अदम हाजिरी में खालि
पर दिमा जमा है। हस्तगत प्रल के
अदम हाजिरी में खरिज करे की जानकारी
पूर्व में हमें नहीं थी हुकम जानकारी दिनांक
20.12.2024 को बने पर आज पह हाजिरी
पर बाबर हस्तगत हाजिरी न्या के
रेखणे का प्रेम है. हस्तगत हाजिरी न्या.
के रेखणे का जारी को निमा प्रकाश
पुनर्वाक का अका प्रकाश रेखणे का प्रेम
अदम पर मनन दिमा जमा। प्रवाली का
अवलोकन दिमा जमा। प्रार्थी द्वारा कपने
मुकदमे की पैली हेतु आपिक्ता
दिमा दिमा हुकम है। आपिक्ता का
अब किरिउ दामिल है कि वो उकल
में प्रगति से अपने संकाका को संकास
करावे तथा संकाका की अपने मुकदमे
की लेक सका रहे। प्रार्थी के अदम
पेरी पर आपिक्ता के लिए आपिक्ता
द्वारा आश्नरत दिमा जमा था हरे वजर

सहायक कमिश्नर, सांचौर
(न्यायपाल अधिकारी, सांचौर)

से निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित
 नहीं आ सका। अधिनियम द्वारा निर्धारित
 तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं किया। केवल
 इस आधार पर शर्ती को न्याय के
 अधीन नही उचित जताते नहीं किया है।
 अतः शर्ती को न्याय के अधीन उचित
 नहीं माने जाने के लिये उचित विधि
 द्वारा पूरा प्रक्रिया प्रवर्तित करना आवश्यक
 है। न्याय नं. २०१२/२०१५ के मुकदमा
 नं. पर लेने के द्वारा उचित विधि काते
 हैं। पूरा प्रक्रिया दिनांक ०७.०७.२०१५ की
 पेशी है। उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित तारीख
 पेशी को न्यायालय में उपस्थित है।
 निर्णय सं. - ए - इनसास सुनाना गंगा
 प्रक्रिया के लिये मुकदमा नं. २०१२/२०१५
 नं. के एक वृत्त की जाकर साजिल
 दफ्तर है।

(५११)
 सहायक जज, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)